न्यायालय, श्रीमती बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

वाद सं०– M 22 /2019

धारा–107 द०प्र०सं०

झारखण्ड सरकार .... बनाम .... मुंशी मुण्डा वगैरह

आदेश की क्रम सं० एवं तारीख	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तरीख सहित
	अभिलेख सं0–एम 22 /2019, में द०प्र०सं० की धारा–107 के तहत थाना प्रभारी तमाड़ के अप्राथमिकी सं०– 09/19 दिनांक– 20/03/19 के द्वारा प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन / आवेदन से सूचना मिली है कि दिनांक - 06/05/19 को लोकसभा चुनाव के अवसर पर द्वितीय पक्षों द्वारा शांति भंग होने की संभावना है। जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष / विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी। अतः मैं बबली कुमारी, कार्यपालक दण्डाधिकारी ,बुण्डू (राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध द०प्र०सं० की धारा–107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष / द्वितीय पक्ष के विरूद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे / उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू0 का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय। अभिलेख तिथि 01/04/19 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संशोधित। 25/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)। 25/03/19 कार्यपालक दण्डाधिकारी , बुण्डू (राँची)।	

पृष्ठ सं०—..................

[आदेश] की क्रम सं० एवं [तारीख]	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं टिप्पणी तारीख सहित
25-04-19	अभिलेख उपस्थापित। टिप्पणी उपस्थित। दिनांक 04-05-19 को रखें। [हस्ताक्षर] 25/04/19	
04-05-19	अभिलेख उपस्थापित। विपक्षी हाजरी दी गई। दिनांक 16-05-19 को रखें। [हस्ताक्षर] 04/05/19	
16-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष क्रमांक 01, 02 उपस्थित। दिनांक 25-05-19 को रखें। [हस्ताक्षर] 16/05/19	
25-05-19	अभिलेख उपस्थापित। द्वितीय पक्ष उपस्थित। लोक सभा चुनाव 2019 शांति पूर्वक रूप से सम्पन्न हो गया है। अतः वाद के अभिलेख की कार्रवाई बन्द की जाती है। [हस्ताक्षर] 25/05/19	

Digitally signed by AJAY KUMAR SAW
Date: 2022.02.14 15:26:34 +05:30
Location: 10.93.79.5